

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मिर्षा 8/11/13 (15) 266

आज दिनांक तहसीलदार / नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर सरकार बनाम मोलासिंह सोलंकार शिंदे रामसिंह I.A.P.D. किरस्त मुकदमा राज.उप. अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत 250 सं. 2070 सन

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म की तामिल में जारी हुए।
-------------	-----------------------------------	--

28/10/13 पटवारी हल्का I.A.P.D. राजसिंहाली ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. I.A.P.D. के मुरब्बा नं. $\frac{251}{380} \frac{250}{396}$ के 2-037 बीघा, भूमि रकबा राज हैं जिस पर श्री मोलासिंह पुत्र श्री सुखराम शिंदे जाति रामसिंह सा I.A.P.D. ने अतिक्रमण कर सम्बत् 2070 फसल खरीक नाजायज काश्त कर रखी है जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे। पत्रावली दिनांक 8/11/13 को पेश है।

8/11/13 पत्रावली उपर नपायी उपर धाक प्रार्थना पत्र पेश किया कि इन्हें खने

मोलासिंह

~~का प्रकार राजा के कमील कसि गे व ७~~
~~गजातंगर में जेकरा है। राजा के कमील गे~~
~~के कोडेवांगर गजातंगर की शक्ति~~
~~२४७५/२-जरीजे चाला ६३० दिनांक २५/१/१५~~
~~द्वारा राजकोल के जमा करवा ले है जिसकी~~
~~कोशे ग्रह पेश की जो शामिल पजावली की~~
~~जोषे। पजावली में शक्ति जमा हो चुकी है।~~
~~पजावली केसला गुजार हो परवारी हलका के~~
~~कोडेवांगर किना जोषे डि सु-राजा के कमील के~~
~~पालना निगेर पेश करे।~~

३६